लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.3/सी–2/अं.जि.स्था./37/09/3204 भोपाल,दिनांक 22/10/2009

/आदेश/

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2007–08 की कण्डिका 12.2 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्रं.–2 में उल्लेखित शिक्षक का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में कॉलम क्रं.–6 में अंकित जिले में किया जाता है:–

स.क्रं.	नाम	यूनिक आई. डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती रंजना श्रीवास्तव,सहायक शिक्षिका	BF 2642	शा.प्रा.शा.कूल्हा ज.शि.के. मा.शा.नौधई क.हाईस्कूल गांधी चौक गंजबासौदा जि.विदिशा	23310117101	भोपाल	–––

2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा । नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।

3/ उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।

4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावें।

5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भलो–भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहॉ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावें यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरूद्ध,कोई विभागीय जॉच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायें।

6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।

7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2007–08 की कंडिका–9.17 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है। अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।

8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ति उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"

आयुक्त 22/10/09
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

निरंतर...2...

पृ. क्रमांक / स्था.3 / सी–2 / अं.जि.स्था. / 37 / 09 / 3205 भोपाल,दिनांक 22 / 10 / 2009

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव,माननीय मुख्यमंत्री जी,मध्यप्रदेश शासन,मंत्रालय–भोपाल।
2. निज सचिव, मान.मंत्री महोदया, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर टीप क्रमांक 2732 / मं. / स्कू.शि. दि.12.09.09 में प्रदत्त आदेश के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश,भोपाल।
5. कलेक्टर,जिला–विदिशा एवं भोपाल म.प्र.।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला–विदिशा एवं भोपाल म.प्र.।
7. संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल मध्यप्रदेश।
8. जिला शिक्षा अधिकारी,जिला–विदिशा एवं भोपाल म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

9. संबंधित श्री / श्रीमती / सुश्री.....

.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

आयुक्त 22/10/09
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.3/सी–2/अं.जि.स्था./37/09/ 3200 भोपाल, दिनांक 22·10·09

//आदेश//

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2007–08 की कंडिका 12.2 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्रं.2 में उल्लेखित शिक्षक का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में कॉलम क्रं. 6 मे अंकित जिले में किया जाता है :–

स.क्रं.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रं.	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित सस्था/जिले का नाम
01	02	03	04	05	06
1.	श्री रंगदेव त्रिपाठी, शिक्षक	889059	शास.हाईस्कूल खुरमुचा सिंगरौली	23550116110	रीवा
2.	श्री कृष्णदत्त मिश्रा, प्र.अध्यापक	AT4615	शास.मा.शाला बौंसराहन, रायरोन	23340402203	भोपाल

2– उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।

3– उक्त स्थानान्तरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

4– संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे।

5– संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली–भाँति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ है जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरूद्व कोई विभागीय जॉच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्व शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायें।

6– जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।

7– स्थानांतरण नीति वर्ष 2007–08 की कंडिका – 9.17 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है। अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।

8– स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए पदस्थापना उपरात कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ति उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान पर में एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

''प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार''

आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठां.क्रमांक/स्था.3/सी–2/अं.जि.स्था./37/09/ 3201 भोपाल, दिनांक 22·10·09

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, मान. मंत्री महोदया, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल।
4. कलेक्टर, जिला–सिंगरौली, रीवा, रायसेन एवं भोपाल म.प्र.।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिंगरौली, रीवा, रायसेन एवं भोपाल म.प्र.।
6. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल एवं रीवा संभाग, म.प्र.।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला–सिंगरौली, रीवा, रायसेन एवं भोपाल म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

8. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री...की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.3/सी–2/अं.जि.स्था./13/09/3198 भोपाल,दिनांक 22/10/2009

/आदेश/

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2007–08 की कण्डिका 12.2 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्रं.–2 में उल्लेखित शिक्षक संवर्गीय कर्मचारियों का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख जिले में किया जाता है:–

स.क्रं.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री पवित्रा पाराशर, सहा.शि.	BN 2473	शा.प्राथ.वि.पाटई जिला गुना	23070616501	भोपाल
2	श्रीमती हेमलता चौबे, सहा.शि.	BG 9897	शा.कन्या पा.वि.कन्नोद,जि. देवास	23230521102	इन्दौर
3	श्रीमती रंजना मिश्रा, सहा.शि.	BN 8298	शा.मा.शाला ब्रांच पाली जि. उमरिया	23151002001	शहडोल
4	श्रीमती सुशोला खनेजा,सहा.शि.	AK 8576	शा.प्राथ.हरप्रकाश वैदिक वि. कालीमाई सन्तर संकुल क्रं.2 मुरार जि.ग्वालियर	23040512501	टीकमगढ़
5	श्रीमती आराधना सिकरदार,सहा.शि.	BA 7293	शा.हजारेश्वर प्राथ.शा.श्योपुर	23010926309	ग्वालियर
6	श्री राम कुमार कुर्मी, सहा.शि.	AN 7138	शा.प्राथ.शा.कनौजा जि.कटनी	23380607801	जबलपुर

2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारियों की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा । नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।

3/ उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।

4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावें।

5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली–भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहॉ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावें यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरूद्ध,कोई विभागीय जॉच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायें।

निरंतर...2...

6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।

7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2007–08 की कंडिका–9.17 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है। अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।

8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ति उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

आयुक्त
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

भोपाल,दिनांक 24/10/2009

पृ. क्रमांक/स्था.3/सी–2/अं.जि.स्था./13/09/3199

प्रतिलेपिः–

1. निज सचिव,माननीय मुख्यमंत्री जी,मध्यप्रदेश शासन,मंत्रालय–भोपाल।
2. निज सचिव, मान.मंत्री महोदया, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर टीप क्रमांक 2281/मं./स्कू.शि. दि.08.08.09 में प्रदत्त आदेश के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश,भोपाल।
5. कलेक्टर,जिला–गुना,भोपाल,देवास,इन्दौर,उमरिया शहडोल,ग्वालियर,टीकमगढ़,,श्योपुर,कटनी एवं जबलपुर म.प्र.।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला–गुना,भोपाल,देवास, इन्दौर, उमरिया, शहडोल, ग्वालियर,टीकमगढ़,,श्योपुर,कटनी एवं जबलपुर म.प्र.।
7. संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण संभाग– ग्वालियर,भोपाल,उज्जैन,इन्दौर,रीवा,सागर एवं जबलपुर, मध्यप्रदेश।
8. जिला शिक्षा अधिकारी,जिला–गुना,भोपाल,देवास,इन्दौर, उमरिया, शहडोल, ग्वालियर, टीकमगढ़, ,श्योपुर,कटनी एवं जबलपुर म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

9. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....
.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

आयुक्त
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.3/सी–2/अं.जि.स्था./37/09/3202 भोपाल, दिनांक 22.10.09

//आदेश//

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2007–08 की कंडिका 12.2 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्रं.2 में उल्लेखित शिक्षक का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में कॉलम क्रं. 6 में अंकित जिले में किया जाता है :–

स.क्रं.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रं.	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम
01	02	03	04	05	06
1.	श्री नद किशोर दीक्षित, स.शिक्षक	AL-43I8	शास.मा.शाला खेड़ीपुरा, हरदा	23360116301	इंदौर

2– उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।

3– उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

4– संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे।

5– संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली–भॉति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उनके स्थान/पद पर पदस्थ है जहॉ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कम्रचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरूद्व कोई विभागीय जॉच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्व शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायें।

6– जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।

7– स्थानांतरण नीति वर्ष 2007–08 की कंडिका – 9.17 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है। अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।

8– स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ति उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान पर में एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"

आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क्रमांक/स्था.3/सी–2/अं.जि.स्था./37/09/3203 भोपाल, दिनांक 22.10.09

प्रतिलिपि:–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री महोदया, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल।
4. कलेक्टर, जिला–हरदा एवं इंदौर, म.प्र.।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला–हरदा एवं इंदौर, म.प्र।
6. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल एवं इंदौर संभाग, म.प्र.।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला–हरदा एवं इंदौर, म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

8. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....
.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश